न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 69 / 2022

धर्मपाल पुत्र मामचन्द जाति जाट, निवासी शिवदयालपुरा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.06.2024 न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ बउनवानी सरकार बनाम धर्मपाल मुकदमा संख्या 09 / 2023 अ.धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री मो0 रसीद खान............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 5|5|25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अदालत मातहत के समक्ष हलका पटवारी ने झुठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट दिनांक 14.9.2023 को प्रस्तुत की जिसमें हलका पटवारी ने अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टर पर पक्का निर्माण एवं 0.13 हैक्टर भूमि पर बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर अदालत मातहत ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अ0धारा0 91 भू—राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रारम्भ की। अपीलान्ट को उक्त [illegible] कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बिना तामील के दिनांक 11.10.2023 को उपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

आलौच्य निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने जिस भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है उस पर 50 वर्षो से आबादी बसी हुई है तथा अपीलान्ट के मकान के आस–पास सघन आबादी 50 वर्षो से बसी हुई है। प्रकरण में केवल अपीलान्ट के खिलाफ ही राजनैतिक रंजिशवश उक्त झुठी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार आबादी के बीच बसे अपीलान्ट के अकेले के विरूद्ध अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय करें।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष हलका पटवारी ने झुठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट दिनांक 14.9.2023 को प्रस्तुत की जिसमें हलका पटवारी ने अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टर पर पक्का निर्माण एवं 0.13 हैक्टर भूमि पर बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर अदालत मातहत ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध अ0धारा0 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रारम्भ की। अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बिना तामील के दिनांक 11.10.2023 को उपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने जिस भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है उस पर 50 वर्षो से आबादी बसी हुई है तथा अपीलान्ट के मकान के आस–पास सघन आबादी 50 वर्षो से बसी हुई है। प्रकरण में केवल अपीलान्ट के खिलाफ ही राजनैतिक रंजिशवश उक्त झुठी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार आबादी के बीच बसे अपीलान्ट के अकेले के विरूद्ध अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली इस आशय के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है तथा अपीलान्ट ने न तो अधीनस्थ न्यायालय और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 मुकदमा संख्या 09/2023 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बिसाऊ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5|5|25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested